an>

Title: Need to curb the usage of terms like Bhangi Chura, Chamar, Kanjar etc.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पूरे देश और खास तौर से इस सदन के सामने लाना चाहती हूं। दलितों के प्रति द्वेÂष से प्रेरित कई ऐसी घटनाएं घटीं, जिन पर जमकर राजनीति हुई। लेकिन दलित समाज के ऊपर कोई भी अपशब्द इस्तेमाल न हो या उनके प्रति घिनौनी हरकतें न हों, उसके लिए कोई काम नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके सामने दो विÂषय लाना चाहती हूं। पहला विÂषय यह है कि शैडयूल्ड कास्ट /शैडयूल्ड ट्राइब प्रिवैंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की धारा 3 में पनिशमैंट फॉर अफेन्सेज ऑफ एट्रोसिटीज में जो वन का टू प्वाइंट है, उसे मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं --

> "Acts with intent to cause injury, insult or annoyance to any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,â€¦"

जो कि एक अपराध बनाया गया है।

उसी प्रकार से संविधान के आर्टिकल 341 में प्रावधान है:

> "The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes. "

अध्यक्ष जी, सन् 2011 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने हाई कोर्ट में एक केस दर्ज किया था कि चार अपशब्दों का प्रयोग होता है। वाल्मीकि समाज को जब चूड़ा और भंगी कहा जाता है, तब इन लोगों को शर्म नहीं आती है। जब जाटव समाज को चमार कहा जाता है, तब किसी को तकलीफ नहीं होती है और घियारा समाज के लोगों को कंजर कहा जाता है। इसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस समय कांग्रेस की सरकार, जो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स इश्यू करती थी और उसके आधार पर बच्चों को स्कूल-कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, ने इस विÂषय को वापस लिया और कहा कि हम ये सर्टिफिकेट्स इश्यू नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया और उस नोटिफिकेशन के तहत वर्ष 2011 में इन शब्दों को वापस लिया,...(व्यवधान) लेकिन उसके बाद जब से दिल्ली में नई सरकार आई, वापस इन शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया।...(व्यवधान) चूंकि आज तमाम राज्यों में ये चार शब्द, जो जातिसूचक शब्द हैं, आपराधिक शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।..(व्यवधान) इसलिए मैं चाहती हूं कि केन्द्र सरकार यह संशोधन भी लाए और हर राज्य को यह आदेश दे कि इन चारों शब्दों को और इनके अलावा, अगर दक्षिण भारत की भाÂा◌ाओं में अन्य ऐसे शब्द हों, क्योंकि मैं दक्षिण भारत की भाÂषाओं को नहीं जानती हूं, ऐसे जितने भी शब्द हों, उनको सूची से अलग किया जाए।...(व्यवधान) समाज में जो द्वेÂष की भावना है, उनके ऊपर उत्पीड़न के भाव हैं, उनको समाप्त किया जाए और पूरे समाज को इकट्ठे लेकर चला जाए, न कि उस पर राजनीति की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्रीमती नीलम सोनकर, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, श्रीमती अंजू बाला एवं श्रीमती रेखा वर्मा को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।